सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : जयसिंहपुरा, कैम्प दिनांक 20.06.2018

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 56/2016 दायर तारीख : 05.07.2016

1. फूली देवी पत्नी महादेव
2. शिवराम } पुत्रान महादेव
3. ख्यालीराम
4. फूलचन्द पुत्र लादू

} जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा तहसील विराटनगर, जयपुर

—— वादीगण

बनाम

1. प्रभाती देवी पत्नी हरभगत
2. अर्जन
3. नरेश
4. प्रहलाद
5. गोविन्द
6. गिरधारी
7. सुरजन

} पुत्रान हरभगत

8. अणची पत्नी रामदेव
9. रामनिवास पुत्र रामदेव

} जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा तहसील विराटनगर

10. कोयली पुत्री रामदेव पत्नी हनुमानसहाय जाति अहीर निवासी कांसली तहसील कोटपूतली
11. बोदी पुत्री रामदेव पत्नी रामू
12. रामा पुत्री रामदेव पत्नी गोपाल

} जाति अहीर निवासी राजनौता तहसील कोटपूतली

13. पिदमण पुत्र मांगू
14. भंवरी देवी पत्नी डूंगाराम
15. भोलाराम
16. धर्मपाल
17. कैलाश

} पुत्रान डूंगाराम

} जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा तहसील विराटनगर

18. मक्खनी देवी पुत्री डूंगाराम पत्नी कैलाश जाति अहीर निवासी बागावास अहीरान तहसील विराटनगर
19. गीता देवी पुत्री डूंगाराम पत्नी हनुमानसहाय
20. श्रवण देवी पुत्री डूंगाराम पत्नी हरलाल

} जाति अहीर निवासी जोधपुरा तह॰ थानागाजी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21. [illegible] देवी पत्नी बन्शीलाल जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा तहसील विराटनगर
22. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
23. आई.सी.आई.सी.ओई बैंक शाखा शाहपुरा जरिए मैनेजर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा शाहपुरा जिला जयपुर।
24. जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा जयसिंहपुरा जरिए मैनेजर जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा जयसिंहपुरा तहसील विराटनगर

— *<u>प्रतिवादीगण</u>*

25. जगदीश } पुत्रान सूवा
26. कजोड }
27. सुन्दरी देवी पत्नी कन्हैयालाल उर्फ काना
28. हनुमानसहाय }
29. नन्छू } पुत्रान कन्हैयालाल उर्फ काना
30. रामेश्वर }
31. रामकुवार }
32. गोपाल }

} जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा तहसील विराटनगर

— *<u>तरतीबी प्रतिवादीगण</u>*

<u>दावा बाबत घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

उपस्थित :— श्री गोपाल टांक, अधिवक्ता वादीगण
एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादीगण
पैरोकार सरकार

<u>निर्णय</u>

<u>निर्णय दिनांक :— 20.06.2018</u>

1. वादीगण ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम जयसिंहपुरा के साबिक खसरा नम्बर 865 रकबा 3 बिसवा किस्म गैरमुमकीन बाडा की खातेदारी वादी संख्या 1 के ससुर तथा वादी संख्या 2, 3 के दादा लादू पुत्र श्योबक्स एवं वादी संख्या 4 के पिता लादू एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 25 लगायत 32 के बुजुर्ग लादू के भाई सुवा व कन्हैया उर्फ काना के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड रही है। साबिक खसरा नम्बर 865 रकबा 3 बिसवा का हाल सैटिलमेंट में नया नम्बर 1295 / 0.05 हैक्टेयर कायम किया जाकर उसकी खातेदारी साबिक रिकार्ड के विपरीत प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 21 के नाम गलत रूप में दर्ज कर दी गई, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 21 का हाल खसरा नम्बर 1295 / 0.05 हैक्टेयर से कभी

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

कोई संबंध नहीं रहा है। तरतीबी प्रतिवादी संख्या 25 लगायत 32 ने अपनी अन्य आराजीयात का वादीगण के साथ बंटवारा करते समय हाल आराजी खसरा नम्बर 1295 को वादीगण के हिस्से में बाहमी बटवारे में दिया गया था, क्योंकि इस नम्बर पर वादीगण ही अपने हिस्से पर बुजुर्गो के समय से काबिज रहे है एवं आज भी उक्त जगह को वादीगण काडे के रूप में काम ले रहे है। अतः निवेदन है कि ग्राम जयसिंहपुरा के हाल खसरा नम्बर 1295/0.05 हैक्टेयर का साबिक रिकार्ड खातेदारी में अंकित नामो के अनुसार हाल रिकार्ड खातेदारी में उनके वारिसान के नाम घोषणा खातेदारी फरमायी जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे तथा तरतीबी प्रतिवादीगण का नाम बाहमी बट के अनुसार हजफ फरमाया जाकर उक्त सम्पूर्ण नम्बर की खातेदारी घोषणा वादीगण अकेले के नाम से की जाकर उसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहे, एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पैरोकार सरकार उपस्थित हुए।
3. वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2012–2027, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी पृष्ठ संख्या 155, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 230 संवत् 2067–2070 आदि पेश किये।
4. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट जयसिंहपुरा में वास्ते पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान को मजमे आम सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2012–2027 वाके ग्राम जयसिंहपुरा के साबिक खसरा नम्बर 865 रकबा 3 बिसवा किस्म गैरमुमकीन बाडा की खातेदारी वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के बुजुर्गो लादू, सूवा, कन्हैया पिता श्योबक्स के नाम दर्ज रिकार्ड रही है तथा मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नम्बर 865 रकबा 3 बिसवा का हाल सैटिलमेंट में नया नम्बर 1295/0.05 हैक्टेयर कायम किया जाकर उसकी खातेदारी साबिक रिकार्ड के विपरीत प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 21 के नाम दर्ज कर दी गई, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 21 का हाल खसरा नम्बर 1295/0.05 हैक्टेयर से कभी कोई संबंध नहीं रहा है। यह भी सैटिलमेंट कर्मचारियों को साबिक रिकार्ड की पुरावर्ति करनी होती है, फिर भी बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश एवं डिक्री के साबिक रिकार्ड के विपरीत वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी भूमि का इन्द्राज

सत्यमेव जयते
Web Copy - Unofficial

प्रतिवादीगण के नाम गलत रूप में दर्ज कर दिया, जिसे साबिक रिकार्ड अनुसार वादीगण के नाम दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ। यह भी कि वादीगण ने अपने वादपत्र में तरतीबी प्रतिवादीगण के साथ हुए बाहमी बंटवारे अनुसार केवल अपने नाम खातेदारी चाही गई, जिसके संबंध वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण ने राजीनामा प्रस्तुत किया है, जिसके मुताबिक दीगर खसरा नम्बरान के बाहमी बंटवारे में आराजी खसरा नम्बर 1295/0.05 हैक्टेयर वादीगण के कब्जा काश्त में है, तथा उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज की जाती है, तो तरतीबी प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। अतः आराजी खसरा नम्बर 1295 की खातेदारी वादीगण अकेले के नाम दर्ज किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

6. उपर्युक्त समस्त तथ्यो एवं वादपत्र के संलग्न दस्तावेजो के अवलोकन उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि आराजी मुतनाजा साबिक खसरा नम्बर 865 रकबा 3 बिसवा की खातेदारी वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के बुजुर्गो लादू, सूवा, कन्हैया पिता श्योबक्स के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के दीगर खसरा नम्बरान के बाहमी बंटवारे से खसरा नम्बर 1295/0.05 हैक्टेयर वादीगण के हिस्से में आया है, जिसको सैटिलमेंट में बिना किसी सक्षम न्यायालय आदेश एवं डिक्री के आराजी मुतनाजा की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड की गई, जबकि आराजी मुतनाजा से प्रतिवादीगण कभी कोई संबंध नहीं रहा है।

<u>आदेश</u>

वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। ग्राम जयसिंहपुरा के हाल खसरा नम्बर 1295/0.05 हैक्टेयर का साबिक रिकार्ड एवं प्रस्तुत राजीनमाा अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हक हिस्से की भूमि में बेजा दखल नहीं करें। तहसीलदार विराटनगर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करे। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट जयसिहपुरा दिनांक 20.06.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अजे अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजस्व लोक अदालत
कैम्प कोर्ट : जयसिंहपुरा दिनांक : 20.06.2018

बइजलास :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

1. फूली देवी पत्नी महादेव
2. शिवराम } पुत्रान महादेव
3. ख्यालीराम
4. फूलचन्द पुत्र लादू

} जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा तहसील विराटनगर, जयपुर

— वादीगण

बनाम

1. प्रभाती देवी पत्नी हरभगत
2. अर्जन
3. नरेश
4. प्रहलाद } पुत्रान हरभगत
5. गोविन्द
6. गिरधारी
7. सुरजन
8. अणची पत्नी रामदेव
9. रामनिवास पुत्र रामदेव

} जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा तहसील विराटनगर

10. कोयली पुत्री रामदेव पत्नी हनुमानसहाय जाति अहीर निवासी कांसली तहसील कोटपूतली
11. बोदी पुत्री रामदेव पत्नी रामू
12. रामा पुत्री रामदेव पत्नी गोपाल } जाति अहीर निवासी राजनौता तहसील कोटपूतली
13. पिदमण पुत्र मांगू
14. भंवरी देवी पत्नी डूंगाराम
15. भोलाराम
16. धर्मपाल } पुत्रान डूंगाराम
17. कैलाश

} जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा तहसील विराटनगर

18. मक्खनी देवी पुत्री डूंगाराम पत्नी कैलाश जाति अहीर निवासी बागावास अहीरान तहसील विराटनगर
19. गीता देवी पुत्री डूंगाराम पत्नी हनुमानसहाय
20. श्रवण देवी पुत्री डूंगाराम पत्नी हरलाल } जाति अहीर निवासी जोधपुरा तह॰ थानागाजी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21. सरोज देवी पत्नी बन्शीलाल जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा तहसील विराटनगर
22. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
23. आई.सी.आई.सी.ओई बैंक शाखा शाहपुरा जरिए मैनेजर आई.सी.आई.सी. आई. बैंक शाखा शाहपुरा जिला जयपुर।
24. जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा जयसिंहपुरा जरिए मैनेजर जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा जयसिंहपुरा तहसील विराटनगर —— ***प्रतिवादीगण***

25. जगदीश } पुत्रान सूवा
26. कजोड }
27. सुन्दरी देवी पत्नी कन्हैयालाल उर्फ काना
28. हनुमानसहाय } पुत्रान कन्हैयालाल उर्फ काना
29. नन्छू }
30. रामेश्वर }
31. रामकुवार }
32. गोपाल }

} जाति अहीर निवासी जयसिंहपुरा तहसील विराटनगर

—— ***तरतीबी प्रतिवादीगण***

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 56/2016 **दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री गोपाल टांक एडवोकेट** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादीगण एवं उपस्थित पैरोकार सरकार** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि ग्राम जयसिंहपुरा के हाल खसरा नम्बर 1295/0.05 हैक्टेयर का साबिक रिकार्ड खातेदारी में अंकित नामो के अनुसार हाल रिकार्ड खातेदारी में उनके वारिसान के नाम घोषणा खातेदारी फरमायी जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे तथा तरतीबी प्रतिवादीगण का नाम बाहमी बट के अनुसार हजफ फरमाया जाकर उक्त सम्पूर्ण नम्बर की खातेदारी घोषणा वादीगण अकेले के नाम से की जाकर उसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे।

कैम्प कोर्ट जयसिंहपुरा में सुना गया। वादी का वाद दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। आराजी मुतनाजा साबिक खसरा नम्बर 865 रकबा 3 बिसवा की खातेदारी वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के बुजुर्गो लादू, सूवा, कन्हैया पिता श्योबक्स के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के दीगर खसरा नम्बरान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के बाहमी बंटवारे से खसरा नम्बर 1295/0.05 हैक्टेयर वादीगण के हिस्से में आया है, जिसको सैटिलमेंट में बिना किसी सक्षम न्यायालय आदेश एवं डिक्री के आराजी मुतनाजा की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड की गई, जबकि आराजी मुतनाजा से प्रतिवादीगण कभी कोई संबंध नहीं रहा है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। ग्राम जयसिंहपुरा के हाल खसरा नम्बर 1295/0.05 हैक्टेयर का साबिक रिकार्ड एवं प्रस्तुत राजीनमाा अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हक हिस्से की भूमि में बेजा दखल नहीं करें। तहसीलदार विराटनगर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करे। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट जयसिहपुरा दिनांक 20.06.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुबलिक ....शून्य........................... बाबत ....शून्य..................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 20.06.2018** को जारी की गई।

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प बजह सबूत		महन्ताना वकील	
महन्ताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बबत इजराय	
बबत इजराय हुक्मनामा		हुक्मनामा	
		मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।